

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
संबंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे साविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सन्बद्धता/2013/2370

दिनांक: 30-07-2015

//सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध JAIN MAHAVIDYALAYA, GWALIOR को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित संचालित B.Ed., M.ed पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की स्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. PROF. D.C. TIWARI, SOS IN PHYSICS, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR (संयोजक)
2. PROF. ASHOK SHARMA, SOS IN EDUCATION, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
3. PROF. HEMANT SHARMA, SOS IN LIBRARY SCIENCE, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें एवं निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।

निरीक्षण समिति के सदस्यों को 1000/- प्रति सदस्य मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

30-7-15  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर निर्देश है कि समिति के संयोजक द्वारा दी गयी निर्धारित तिथि पर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अधिष्ठाता, (महाविवि.पा.)